REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 839]	नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 22, 2019/फाल्गुन 3, 1940
No. 839]	NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 22, 2019/PHALGUN 3, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2019

का.आ. 970(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2)

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है ।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को उक्त तालिका के क्रमश: स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा ।

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
558	544एफ	आंध्र प्रदेश राज्य में मारुरु (रपताडू) के निकट रारा-44 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर इतुकलापल्ली, हुसेनपुरम (ताडीपतरी), नागीरेड्डीपल्ली, नल्लगटला, डिड्डालुर, कागीतालागुडेम (कमबम), रयायारम, नुजेंडला, कोम्मलापाडू, कावुरु, फिरंगीपुरम, मेदीकोंडुरु, वेलावरथीपाडू को जोड़ते हुए और पेड्डा परिमि के निकट विजयवाड़ा इनर रिंग रोड के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

तालिका

[फा. सं. एनएच-14012/1/2019-पी ऐंड एम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

1198 GI/2019

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और बाद में अधिसूचना सं. का. आ. 686-87 (अ), दिनांकित 18.02.2019 द्वारा इसमें संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2019

S.O. 970(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

Serial No.	New	Description of National Highways
	National	
	Highway	
	No.	
(1)	(2)	(3)
558	544F	The highway starting from its junction with NH-44 near Maruru (Raptadu) connecting Itukalapalli, Husenapuram (Tadipatri), Nagireddipalli, Nallagatla, Diddalur, Kagitaalagudem (Cumbum), Rayayaram, Nuzendla, Kommalapadu, Kavuru, Phirangipuram, Medikonduru, Velavarthipadu and terminating at its junction with Vijaywada Inner Ring Road near Pedda Parimi in the State of Andhra Pradesh.

[F. No. NH-14012/1/2019-P&M] RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Footnote: The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 publised in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 686-87(E), dated 18.02.2019.